

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

द्वितीय
स्मार

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची।

मुख्य अभियंता,
नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची।

अति
महत्वपूर्ण

मुख्य अभियंता,
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :-

विषय:-कनीय अभियंताओं का बायोडाटा एवं अनुपलब्ध वर्षों की चारित्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-2414 दिनांक 18.05.2015, पत्रांक-2413 दिनांक 18.05.2015, पत्रांक-324 दिनांक 20.01.2015, पत्रांक-2656 दिनांक 01.06.2015, पत्रांक-2608 दिनांक 28.05.2015 एवं पत्रांक-2415 दिनांक 18.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा कनीय अभियंताओं का बायोडाटा एवं अनुपलब्ध वर्षों की चारित्री की मांग की गई है। अधिकांश कनीय अभियंताओं का उक्त वांछित अभिलेख अबतक अप्राप्त है, जिससे उन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई बाधित है।

निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपरोक्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही आपके प्रक्षेत्राधीन कार्यरत सभी अभियंताओं की नियमित चारित्री अभिलिखित कर नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह. / -

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख-I एवं II / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

ह. / -

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

2932

राँची, दिनांक :-

16-6-15

प्रतिलिपि :-वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

16-6-15